इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2015—श्रावण 7, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. बी-4-12-2015-2-पांच (17).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 69, सहपठित धारा 16-क(1) तथा 63-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण केवल विभागीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण पद्धति—"सम्पदा" द्वारा 1 अगस्त, 2015 से किया जाएगा. किसी भी आवश्यकता अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में महानिरीक्षक पंजीयन, अधिनियम के प्रावधानों अथवा अधिनियम की धारा 69 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. एफ बी-4-12-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-12-2015-2-पांच (17), दिनांक 29 जुलाई, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th July 2015

F. No. B-4-12-2015-2-V (17).—In exercise of the powers conferred by Section 69, read with Section 16-A (1) and 63-A of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) as applicable to the State of Madhya Pradesh, the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby directs that registration of

documents as per provisions of the said Act, shall be done only by means of "e-registration" through the Department's Electronic Registration System- "SAMPADA", with effect from 1st August, 2015. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Inspector General of Registration may proceed as per the provisions of the Act or the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939, made under Section 69 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. बी-4-12-2015-2-पांच (16).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 75, सहपठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 3 के उप-नियम (2) के परन्तुक अनुसार, राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि ऐसा किया जाना लोक-हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि अधिनियम एवं उसकी अनुसूची 1-क के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज, जो मध्यप्रदेश राज्य को लागू रूप से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं, के लिये स्टाम्प शुल्क का संग्रहण केवल विभागीय इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग पद्धति—"सम्पदा" द्वारा 1 अगस्त, 2015 से किया जाएगा. दस्तावेज, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं किए जाते हैं, के लिये "ई-स्टाम्पिंग" ऐच्छिक रहेगी. किसी भी आवश्यकता अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अधीक्षक मुद्रांक, अधिनियम की धारा 10 अथवा धारा 74 व 75 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. एफ बी-4-12-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-12-2015-2-पांच (16), दिनांक 29 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th July 2015

F. No. B-4-12-2015-2-V (16).—In exercise of the powers conferred by Section 75, read with Section 10 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) as applicable to the State of Madhya Pradesh and as per proviso to sub-rule (2) of rule 3 of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby directs that stamp duty collection as per provisions of the Act and Schedule 1-A thereto, for documents that are registered as per provisions of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) as applicable to the State of Madhya Pradesh, shall be done only by means of "e-stamping" through the Department's Electronic Stamping System—"SAMPADA", with effect from 1st August, 2015. For documents that are not registered, "e-stamping" shall be optional. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Superintendent of Stamps may proceed as per the provisions of Section 10 of the Act or the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, made under Section 74 and 75 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.